FORM OF HEADING OF DEPOSITION

Session Case No. 200/**2026**

Deposition of witness No**. 03,** for the **अभियोजन**, aged about 22 years taken on solemn affirmation on the **15वीं day of June, 2026**

My name is**. राहुल सोनी (आधार कार्ड सं0 561643350318),** I am S/o**. शलेश सोनी,** My age is **22** years. I am by religion- **हिन्दू,** My nationality is**. भारतीय**

My home is at mauza-तेतरी, Police-station-डंडारी, District-बेगूसराय, I reside at present in mauza वही Police-station. वही District. वही, where I am मजदूरी।

<u>शपथ पत्र पर मुख्यपरीक्षण</u>

01. इस केस की सूचिका मेरी मां यशोदा देवी है। घटना करीब आठ महिना पूर्व की समय करीब 08.00 बजे रात की है। उस समय मै घर पर था। राजलक्ष्मी कुमारी और अंकित कुमारी के बीच ट्यूशन के पढ़ने के लिए लड़ाई हुआ था, लड़ाई शांत हो गया।

02. उसके बाद मेरे घर पर लाठी–डंडा लेकर मुकेश, चाची (मुकेश की पत्नी), तड़का उर्फ इन्द्रजीत (मुकेश की बच्चा) एवं अंकिता कुमारी आयी तथा हमलोग के साथ लड़ाई किया। उसके बाद लड़ाई शांत हुआ, उसके बाद पिताजी समझाने लगे तो मेरे पिताजी पर एसीड मुकेश सोनी ने अपनी पत्नी के कहने पर डाल दिया।

03. उसके बाद पिताजी को तेतरी, डंडारी पीएचसी ले गये। उसके बाद मै घर चले आये तथा पिताजी को मां, बहन और भाई राजन सोनी लेकर बेगूसराय अस्पताल ले आये। बेगूसराय में ईलाज के बाद मेरे पिताजी का ईलाज नेपाल में हुआ था।

04. घटना के दिन करीब दो बजे रात में घर पर पुलिस आया था तथा देखकर चला गया।

05. सभी मुदालह को पहचानता हूँ आज न्यायालय में मुदालह चाची (मुकेश की पत्नी), मुकेश सोनी खड़ा है पहचानता हूँ बाकिये मुदालह जो नही आये है उसको भी देखकर पहचान लेगे।

<u>प्रतिपरीक्षण–सभी मुदालह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार</u>

06. मुदालह से मेरा कोई जमीन का झगड़ा नही है।

07. मेरा घर एवं मुदालह के घर सटा हुआ है।

08. घटना स्थल मेरे घर का रूम है, रूम कितना लम्बा–चौड़ा है, मै नही जानता हूँ। लम्बाई–चौड़ाई के फीट की मुझे ज्ञान नही है। उक्त रूम में 5–6 आदमी अट सकता है। घटना स्थल के चौहद्दी मै नही बता सकता हूँ।

09. एसीड रूम के बाहर से फेका गया था। उस रूम में एक गेट है। मेरे पापा पर से करीब पांच हाथ की दूरी से एसीड फेका गया था। जिस समय एसीड फेका गया था उस समय मै पापा के बगल में था, मेरे साथ मेरी मां एवं दोनो भाई राजन सोनी एवं बहन राजकुमारी सोनी थी।

10. एसीड प्लास्टिक कटोरी में था। कटोरी मध्यम आकार का था। कटोरी में रखा हुआ एसीड मेरे पापा पर फेककर भाग गया। मेरे पापा के अलावे मेरे भाई राजन पर एसीड का छीटा पड़ा था। मेरे पापा सबसे आगे थे, उसके बाद मेरी मां थी, उसके बाद हम दोनो भाई थे। घटना स्थल गली था।

11. मुदालह पुनम देवी ने हमलोग पर केस डंडारी थाना काण्ड सं0 132/2025 किया है, लेकिन किस लिए किया है, मुझे पता नही है। झुठा केस

किया है। इसमें मै या मेरे पिताजी बेल कराया हूँ या नही, मुझे पता नही है।

12. ऐसी बात नही है कि हमलोगो के तरफ से छेड़खानी किया गया था इसलिए हमलोग पर केस हुआ है।

13. आज के पूर्व मेरा कही बयान नही हुआ है।

14. लाठी के चोट दोनो पक्ष को लगा था। मुझे, मेरे पापा, भाई को अनगिनत लाठी का चोट लगा था। मुझे पांच लाठी चोट लगा था। मेरे पिताजी को करीब तीन लाठी पीठ पर लगा था, लाठी के चोट खाकर मेरे पिताजी नही गिरे थे। मेरे भाई राजन को लाठी लगा था या नही, मुझे ध्यान नही है। मां को चोट नही लगी थी।

15. मुदालह मुकेश सोनी को चोट लगा था।

16. मै अपने पिताजी को डंडारी अस्पताल नौ बजे रात में लाये थे, डंडारी अस्पताल में एक मिनट रूका था। मैने देखा कि डॉक्टर जिसका नाम मै नही जानता हूँ मेरे पिताजी के ऑख में सूई दे रहा था। उसके बाद मेरे पिताजी को सदर अस्पताल, बेगूसराय मेरे भाई एवं बहन लेकर गये थे। मेरे पिताजी कभी भी बेहोश नही हुए थे।

17. सदर अस्पताल, बेगूसराय में मै अपने पिताजी को देखने नही गया था।

18. मेरे पिताजी दो बजे रात में घर लौटकर आये थे। मेरे पिताजी के घर लौटने के बाद पुलिस वाले आये थे। मेरे पिताजी के ऑख में पट्टी बांधा हुआ था।

19. मेरे पिताजी नेपाल गये थे लेकिन कितने तारिख को गये थे, मुझे ध्यान नही है।

20. बेगूसराय के डॉक्टर ने मेरे पिताजी को नेपाल जाने के लिए कहे, इसलिए नेपाल लेकर गये थे। नेपाल से मेरे पिताजी दो–तीन में आ गये थे, मेरे पिताजी का नेपाल से दावा चल रहा है तथा अभी घर में रह रहे है।

21. घटना स्थल (रूम) का पहचान किसने दरोगा को करवाया था, यह प्रश्न मुझे समझ में नही आ रहा है।

22. ऐसी बात नही है कि जैसा मैने बयान दिया हूँ वैसी कोई घटना नही घटी है, हमलोग के विरूद्ध मुदालह लोग ने छेड़खानी का केस किया था उसी केस से बचने के लिए हमलोग झुठा केस किया हूँ।

उक्त बयान मेरे द्वारा न्यायालय में दिया गया है तथा जिसे पढ़ने के पश्चात सही पाये जाने पर न्यायालय में अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

साक्षी का हस्ताक्षर

Typed by Deposition writer under my direction and corrected and Signed by me.

15/06/16

Deposition Writer

15/06/2016

(Brajesh Kumar Singh)
Distt. Judge & Addl. Sessions Judge-II,
Begusarai

FORM OF HEADING OF DEPOSITION

Session Case No. 200/**2026**

Deposition of witness No**. 04,** for the **अभियोजन**, aged about 26 years taken on solemn affirmation on the **15वीं day of June, 2026**

My name is**. राजन सोनी (आधार कार्ड सं0 866530741308),** I am S/o**. शलेश सोनी,** My age is **26** years. I am by religion- **हिन्दू,** My nationality is**. भारतीय**

My home is at mauza-तेतरी, Police-station-डंडारी, District-बेगूसराय, I reside at present in mauza वही Police-station. वही District. वही, where I am मजदूरी।

<u>शपथ पत्र पर मुख्यपरीक्षण</u>

01. इस केस की सूचिका मेरी मां यशोदा देवी है। घटना दिनांक 05.10.2025 की समय करीब 08.10 बजे रात की है। उस समय मै अपने घर पर था। राजलक्ष्मी कुमारी और अंकित कुमारी के बीच कोचिन में लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई को लेकर मेरे घर पर पुनम देवी, मुकेश सोनी, अंकिता कुमारी, इन्द्रजीत कुमार आया, पुनम देवी, अंकिता कुमारी के हाथ में डंडा था, इन्द्रजीत के हाथ में कचिया था। ये लोग मेरे घर पर आकर गाली गलौज करने लगा तो मै, मेरी मां यशोदा देवी एवं पिताजी शैलेश सोनी समझाने लगे की गाली क्यो दे रहे हो बच्चा बच्चा में लड़ाई हुआ है। उसके बाद मुदालह लोग डंडा चलाने लगा। पुनम देवी ने मुकेश सोनी से बोली कि जाओं एसीड लेकर आओ तो मुकेश सोनी ने अपने घर से कटोरा में एसीड लेकर आया तथा मेरे पिताजी शैलेश सोनी के मुँह पर एसीड फेक दिया, जिससे मेरे पिताजी ऑख जल गया तथा दर्द से चिल्लाने लगे और गिर गये।

02. उसके बाद हमलोग पिताजी को उठाकर मंदिर पर ले गये। उसके बाद मेरी मां यशोदा देवी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आया तथा पुलिस ने बोला कि पहले इनको अस्पताल ले जाओं।

03. उसके बाद मोटरसाईकिल से मै और मेरी बहन ने पिताजी को बीच में बैठाकर अस्पताल ले गया। मोटरसाईकिल मै चला रहा था, बीच मे मेरे पिताजी बैठे हुए थे तथा पीछे मेरी बहन मेरे पिताजी को पकड़े हुई थी।

04. पीएचसी, तेतरी अस्पातल गये गया, तेतरी अस्पताल में डॉक्टर ने मेरे पिताजी के ऑख पर दावा वाला पानी मारे। उसके बाद सदर अस्पताल, बेगूसराय बेहतर ईलाज के लिए भेज दिये। उसके बाद मेरे पिताजी को मै, मेरी मां यशोदा देवी ने एम्बुलेस में बैठकर

सदर अस्पताल, बेगूसराय ईलाज के लिए आये।

05. सदर अस्पताल, बेगूसराय में मेरे पिताजी जब डॉक्टर साहेब देखे तो बोले कि इनका दोनो ऑख जल चुका है, इसलिए बेहतर ईलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के यहां ले जाईये, उसके बाद मै पिताजी को गंगा अस्पताल ईलाज के लिए ले गया। गंगा अस्पताल में डॉक्टर ने पिताजी को दावा लेकर बोला गया ले जाईये सुबह लेकर आईगा। फिर सुबह मै अपने पिताजी को लेकर अस्पताल आया तथा गंगा अस्पताल में एक–दो दिन ईलाज चला, मै डॉक्टर से पुछा कि ऑख ठीक होगा तो डॉक्टर ने बोला कि केवल जख्म ठीक होगा लेकिन यह देख नही पायेगे।

06. उसके बाद मेरी मां बोली कि किसी दूसरा अस्पताल दिखाने के लिए जे जायेगे तो, पुनः सूरज–चॉद अस्पताल पिताजी को दिखाने ले गया, जहां 5–6 दिन ईलाज चला। लेकिन कुछ आराम नही हुआ। उसके बाद पिताजी को ईलाज के लिए नेपाल ले गया तथा ईलाज कराये। अभी मेरे पिताजी का नेपाल का दावा चलता है।

07. मेरे पिताजी के ऑख का दो बार ऑपरेशन हुआ लेकिन ऑख में कोई सुधार नही है।

08. सभी मुदालह को पहचानता हूँ आज न्यायालय में मुदालह पुनम देवी, मुकेश कुमार खड़ा है पहचानता हूँ बाकिये मुदालह जो नही आये है उसको भी देखकर पहचान लेगे।

<u>प्रतिपरीक्षण–सभी मुदालह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार</u>

09. मुदालह से खान–पान, जान–पहचान, मिलना–जुलना मेरा नही है।

10. मै इस काण्ड के एसीड अटैक पीड़ित का अपना सगा बेटा हूँ।

11. घटना के समय घटना स्थल पर मै अपने भाई तथा पिताजी के साथ मौजूद था। मेरे रूम का एक ही गलीनुमा रास्ता है। गेट का उचाई सात फीट तथा चौड़ाई दो फीट है। उस रूम में केवाड़ लगा हुआ है। रूम के लम्बाई–चौड़ाई मै नही कह सकता हूँ। उस रूमें में एक बार में पांच आदमी रह सकता है।

12. उस दिन मै मेरे परिवार के पांच लोग घटना स्थल पर उपस्थित थे।

13. एसीड जब मेरे पिताजी के ऑख पर फेका गया तो वह उड़कर दरवाजे पर नही लगा। मेरे पिताजी को गाल, ओठ, ललाट, दाड़ी पर कोई जख्म नही हुआ था।

14. घटना के समय मै अपने पिताजी के साथ पीछे था। मेरे

और पिताजी की बीच की दूरी करीब दो कदम था। एसीड का एक—दो छिटा मुझे पड़ा था। मै अपने जख्म का ईलाज नही कराया था। मेरे मां, बहन तथा भाई का कोई छिटा नही लगा था।

15. घटना स्थल से भोला बाबा के मंदिर की दूरी करीब 20—30 मीटर होगा। भोला बाबा के मंदिर से भभूत पिताजी को नही लगाया था। घटना के समय मंदिर पर कोई पंडित नही था। पुलिस भोले बाबा के मंदिर पर 08.30 बजे रात में आयी थी। पुलिस ने मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मै अपने पिताजी को अस्पताल ले गया। उसके बाद करीब 09.00 बजे मै अपने पिताजी को अस्पताल ले गया। सदर अस्पताल ले जाने के पूर्व मैने अपने गांव के किसी डॉक्टर से पिताजी का ईलाज नही कराया था।

16. जिस समय मै अपने पिताजी शैलेश कुमार को अस्पताल ले गया उस समय मेरे साथ मेरी बहन, पिताजी थे।

17. सदर अस्पताल के डॉक्टर ने मेरे पिताजी का ईलाज किया था, तथा जख्म प्रतिवेदन दिया था। जिस गाड़ी से अस्पताल ले गया था, उसका नम्बर याद नही है। मेरे पिताजी गाड़ी नही चला रहे थे।

18. मेरे पास गाड़ी चलाने का लाईसेंस नही है। मै जानता हूँ कि बिना लाईसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है।

19. गंगा अस्पताल पिताजी को दिनांक 05.10.2025 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि को ले गया था। गंगा अस्पताल में पिताजी का तीन—चार दिन ईलाज कराये थे। गंगा अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे पिताजी के ईलाज का जख्म प्रतिवेदन दिये थे।

20. चॉद—सूरज अस्पताल पिताजी को कब ले गया था, तारिख याद नही है। चॉद—सूरज अस्पताल में पिताजी को ईलाज के लिए करीब दस तारिख को ले गया होगा। चॉद—सूरज अस्पताल में पिताजी का ईलाज 6—7 दिन चला था।

21. मै पिताजी के ईलाज जिन सारे डॉक्टरों ने किया वह सब ऑख के विशेषज्ञ थे।

22. मै अपने पिताजी को नेपाल अस्पताल 10—15 दिन के बाद ले गया था, तारिख, महिना, साल एवं समय याद नही है। लेकिन मै अपने पिताजी को ईलाज के लिए नेपाल ले गया था यह याद है।

23. घटना स्थल के चौहद्दी नही बता सकता हूँ।

24. मेरा बयान पुलिस में हुआ था। घटना के दो दिन में पुलिस ने मेरा बयान 08.00—09.00 बजे दिन में मेरे घर पर हुआ था। पुलिस मेरे घर आये थे। मै पुलिस जो बयान दिया था वह सारा बात याद नही है।

25. मै पुलिस को बताया था कि मै बलिया गैरेज में काम करता हूँ।

26. मैने जो पुलिस को बयान दिया था वह भी सत्य है तथा आज जो न्यायालय में गवाही दिया हूँ वह भी सत्य है।

27. मैने जो पुलिस को बयान दिया था वही बयान न्यायालय में दिया हूँ।

28. मेरे एवं मेरे पिता वगैरह के विरूद्ध डंडारी थाना काण्ड सं0 132/2025 केस मुदालह पुनम देवी ने मेरे परिवार के सात लोगो पर छेड़खानी करने का मुकदमा किया है।

29. ऐसी बात नही है कि मैने जो बयान दिया हूँ वैसी कोई घ ाटना नही घटी है तथा पुनम देवी के द्वारा किये गये छेड़खानी के केस से बचने के लिए हमलोगो ने झुठा केस किया हूँ तथा जैसा बयान दिया हूँ वैसी कोई घटना नही घटी है।

उक्त बयान मेरे द्वारा न्यायालय में दिया गया है तथा जिसे पढ़ने के पश्चात सही पाये जाने पर न्यायालय में अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

राजन सोनी

साक्षी का हस्ताक्षर

Typed by Deposition writer under my direction and corrected and Signed by me.

15/06/26

Deposition Writer

15/06/2026

(Brajesh Kumar Singh)
Distt. Judge & Addl. Sessions Judge-II,
Begusarai